

एफ 22/29/2003/लसि/31  
विषय:- निर्माण कार्यों की स्वीकृत करने की प्रक्रिया ।

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग का परिपत्र दिनांक 22.9.03 की प्रति नीचे संलग्न है । कृपया अवलोकन करना चाहेंगे ।

इस परिक्षेत्र में वित्त विभाग द्वारा निर्माण कार्यों की प्रक्रिया को पुनरीक्षित किया गया है । निर्माण विभागों के एवं निर्माण कार्यों से संबंधित विभागों के लिये सामान्य प्रशासन विभाग ने वर्ष 1983 से मध्यप्रदेश वर्क्स मैनुअल 1983 लागू किया है ।

वित्त विभाग के इस परिपत्र में उल्लेखित चरण वार निर्माण कार्यों की स्वीकृति की प्रक्रिया मध्यप्रदेश वर्क्स मैनुअल एवं केन्द्रीय सरकार के सेन्ट्रल पब्लिक वर्क्स अकाउन्ट कोड में उल्लेखित प्रावधान जो वर्तमान में विभागों में प्रचलित है के नीति नियामों के विपरीत है । उदाहरणार्थ -

वित्त विभाग के दिनांक 22.9.2003 के परिपत्र से प्रमाण पत्र	म.प्र.वर्क्स मैनुअल 1983 के प्रावधान
1. प्रथम चरण में भूमि की प्राप्ति 2. त्रैमासिक अनुमति 3. विस्तृत प्राक्कलन 4. प्रशासकीय निर्णय	कंडिका 2003, 2004, 2005, 2008, 2120, 2.002, 2.010 का परीक्षण किया जाना होगा । भूमि की प्राप्ति- मैनुअल की उपरोक्त कंडिकाओं के अनुसार कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होनेपर तकनीकी स्वीकृति दी जाने के प्रावधान के अनुसार भूमि प्राप्ति की कार्यवाही की जाने का प्रावधान है - मैनुअल में उल्लेखित प्रावधानों के अतिरिक्त कौन सी त्रैमासिक अनुमति प्राप्त की जाना है यह स्पष्ट नहीं किया गया है । -प्रथम चरण में उल्लेखित प्रावधान मैनुअल की कंडिका 2003 के प्रावधानों के विपरीत है -ऐसी कोई प्रक्रिया मैनुअल में प्रावधारित है ॥
द्वितीय चरण 1. एवं 2 सक्षत वित्तीय समिति की अनुशंसा/अनुमोदन के उपरांत वित्त विभाग की सहमति बिन्दु 3. नवीन पद के रूप में बजट अनुमानों में प्रावधान	- वित्त विभाग के दिनांक 7.3.2002 के परिपत्रों में उल्लेखित प्रावधानों के विपरीत वित्त विभाग को सहमति दिये जाने का प्रावधान किया गया है । अतएवं वित्त विभाग द्वारा दिनांक 7.3.2002के परिपत्र की स्थिति स्पष्ट किया जाना उचित होगा । - मैनुअल-1 की कंडिका 4.131 के प्रावधानों के विपरीत है जो वर्तमान स्थिति में मान्य योग्य नहीं है ।
तृतीय चरण- 1. बजट आवंटन 2. प्रशासकीय स्वीकृति	- मैनुअल की कंडिका 2003 में सर्वप्रथम प्रशासकीय स्वीकृति उसके उपरांत तकनीकी स्वीकृति एवं निर्माण के लिये बजट आवंटन दिये जाने का प्रावधान है । - बजट में सम्मिलित करने की प्रक्रिया कंडिका 4 131 में अनुमानित है । जिसके अनुसार बजट में सम्मिलित करने के प्रस्ताव प्रशासकीय स्वीकृति के उपरांत वित्त विभाग को भेजे जाना है ।

एफ 22/29/2003/लसि/31  
विषय:- निर्माण कार्यो की स्वीकृत करने की प्रक्रिया ।

कृपया वित्त विभाग के दिनांक 22.9.2003 के परिपत्र में उल्लेखित प्रावधानों का विचार प्रथम दृष्टया निम्न बिन्दुओं के अनुसार किजा जाना वांछित है ।

1. मध्यप्रदेश वर्क्स मैन्युअल में उल्लेखित प्रावधानों के विपरीत निर्देश ।
2. मध्यप्रदेश वर्क्स मैन्युअल में लेखा संबंधी नियमावली केन्द्रीय सरकार के एकाउन्ट कोड पर आधारित है । अतएव इसके प्रावधानों पर भी विचार किया जाना होगा ।
3. मध्यप्रदेश वर्क्स मैन्युअल में कंडिका 1.006, 1.007 एवं 1.008 के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता वाले कन्ट्रोल बोर्ड के लिये प्रदत्त अधिकारिता पर भी विचार किया जाना होगा ।

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश वर्क्स मैन्युअल 1983 को सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत प्रकोष्ठ बनाकर तैयार कराया था । मैन्युअल में उल्लेखिता प्रस्तावना जो मुख्य सचिव की है इसमें यह उल्लेख है कि इस मैन्युअल पर विधि एवं वित्त विभाग की गहन परीक्षण उपरान्त सहमति प्राप्त है । (Vetted) तथा यदि इसमें कोई त्रुटि (Error) पर कोई Ommision होना पाया जाता है तो इसे सचिव, लोक निर्माण विभाग के ध्यान में समुचित संशोधन के लिये लाया जावे ।

इस मैन्युअल का उपयोग मुख्यतः लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी , जल संसाधन एवं नर्मदा घाटी विकास विभाग के अंतर्गत है ।

अतएवं संबंधित विभाग द्वारा भी परिपत्र पर विचार कर मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग को अवगत कराया जाना वांछित है ।

हस्ता:-  
(बी.ओ.जोशी)  
सचिव  
जल संसाधन विभाग

सचिव, लोक निर्माण विभाग  
प्रमुख सचिव, नर्मदा घाटी विकास वि.  
प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी वि.  
प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास वि.

